न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या	डिक्री दिनांक	संशोधित निर्णय दिनांक
249/2018	16.08.2021	03.02.2022

अनवान

1. नानूराम पिता केशुराम जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. वरदीचंद पिता केशुराम जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. मिठू पिता केशुराम जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. कैलाश पिता देवीलाल जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. भूरा पिता शंकर जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

---वादीगण

बनाम

1. गोकल पिता प्यारा जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. पोखर पिता पन्नालाल जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. गोवर्धनलाल पिता पन्नालाल जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. जमनालाल पिता पन्नालाल जी जाति कीर, उम्र वयस्क, निवासी चुनाखेड़ा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

--- प्रतिवादीगण

दावा– 53, 88, 188, एवं 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा.दी. निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की आराजीयात वाके मोजा गरदाना तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज. में स्थित है जिसके खाता संख्या 143 की आ.नं. 426 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 427 रकबा 0.65 हैक्टर, आं.न. 439 रकबा 0.34 हेक्टर व खाता सं. 66 आ.नं. 475 रकबा 0.92 हैक्टर, (मूल नम्बर) 1661/475/1 रकबा 0.46 हेक्टर, आ0नं. 475 मीन रकबा 0.46 हेक्टर है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होकर शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, तथा उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा, व प्रतिवादीगण 01 व 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा निहित है, इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण बटवाडा कर काबिज होकर का त अपने बाप-दादाओं के समय से करते चले आ रहे है, तथा आ.नं. 475 रकबा 0.92 हैक्टर (मूल नम्बर) 1661/475/1 रकबा 0.46 हैक्टर आ0 नं0 475 मीन रकबा 0.46 हैक्टर अकेले प्रतिवादीगण के पिता व दादा के नाम दर्ज हो गई जबकि मौके पर वादीगण 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण 01 व 04 का 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुश्तैनी आराजीयात होने से वादीगण के पिता व दादा शंकरलाल जी का 1/2 हक हिस्सा प्यारा जी का यानि प्रतिवादीगण के पिता व दादा का 1/2 हक हिस्सा है व इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए वादीगण उक्त आराजीयात में अपना 1/2 हक हिस्सा घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद कराने के अधिकारी है।

3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होने से वादीगण 01 ता 03 का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हक हिस्सा हक हिस्सा व वादी संख्या 04

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

का 1/6 हक हिस्सा व वादी संख्या 05 का 1/6 हक हिस्सा निहित है। व प्रतिवादीगण 01 का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण 02, 03, व 04 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौके पर काबिज अनुसार उक्त आराजीयात पु तैनी होने से वादीगण बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवाडा आराजीयात का कराने के अधिकारी है।

4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का बटवाडा नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकीया दी तथा वादीगण को उनके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने की कोशिश जिससे प्रतिवादीगण 01 व 04 का इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वाद-पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण किसी अन्य व्यक्ति को रहन,बस, बक्षीस एवं अन्य तरिके से हस्तान्तरित नहीं करे ना ही किसी भी प्रकार से उक्त आराजीयात के वर्तमान में स्वरुप में बदलाव करें इस आशय की वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने काा अधिकारी है।

5. यह कि बाद कारण दिनांक 10.11.2015 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कराने की कहा तो वे इन्कार हो गये तथा बंटवाड़ा नहीं करा रहे हैं से उत्पन्न होकर यह दावा अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतःप्रार्थना है कि वाद-वादीगण बहक प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे किः-

क- यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होने से वादीगण 01 ता 03 का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हक हिस्सा हक हिस्सा व वादी संख्या 04 का 1/6 हक हिस्सा व वादी संख्या 05 वा 1/6 हक हिस्सा निहित है। व प्रतिवादीगण 01 का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हक हिस्सा व

उपखण्ड अधिकारी
...., जिला-चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण 02, 03, व 04 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। एवं वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी की घोषित करते हुए बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बटवाड़ा करवाया जावें रकबे की कमी पेशी पुरी कराई जावें, इस आशय की डिक्री वादीगण के पक्ष में फरमाई जावें।

ब– यह कि वाद–पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण प्रतिवादीगण 01 ता 05 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है की वादीगण के हक हिस्से में किसी भी प्रकार से कोई निर्माण कार्य नही करें। न किसी भी प्रकार से नींव नहीं खोदे, तथा वर्तमान स्वरूप में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से कोई भी दखलन्दाजी न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें एवं प्रतिवादीगण वाद–पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बय, बक्षीस एवं अन्य तरिके से हस्तान्तरित नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा ता मुकदमा रिकार्ड और मुकदमें की यथास्थिति कायम रखी जावें तथा वादीगण को अपने हक हिस्से में शांति पूर्ण तरीके से काश्त करने देवें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली के अवलोकन एवं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में दिनांक 16.08.2021 को वाद वादीगण डिक्री किया गया कि मौजा गरदाना की खाता संख्या 143 की आ.नं. 426 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 427 रकबा 0.65 हैक्टर, आं.न. 439 रकबा 0.34 हेक्टर व खाता सं. 66 आ.नं. 475 रकबा 0.92 हैक्टर, (मूल नम्बर) 1661/475/1 रकबा 0.46 हेक्टर, आ0नं. 475 मीन रकबा 0.46 हेक्टर मे वादीगण 01 ता 03 का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हक हिस्सा हक हिस्सा व वादी संख्या 04 का 1/6 हक हिस्सा व वादी संख्या 05 वा 1/6 हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

निहित है एवं प्रतिवादीगण 01 का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण 02, 03, व 04 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा घोषित किया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया गया था। दिनांक 03.02.2022 को डिक्रीदार के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि प्रकरण में डिक्रीदार/प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का बंटवाडा नहीं चाहते है अतः बंटवाडे की दाद विड्रो कि जावे।

अतः प्रार्थीगण/डिक्रीदार का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 का स्वीकार किया जाकर बंटवाडे की दाद विड्रो किये जाने का आदेश दिया जाकर धारा 88 एवं 188 के अंतर्गत मौजा गरदाना की खाता संख्या 143 की आ.नं. 426 रकबा 0.01 हैक्टर, आ.नं. 427 रकबा 0.65 हैक्टर, आ.न. 439 रकबा 0.34 हेक्टर व खाता सं. 66 आ.नं. 475 रकबा 0.92 हैक्टर, (मूल नम्बर) 1661/475/1 रकबा 0.46 हेक्टर, आ0नं. 475 मीन रकबा 0.46 हेक्टर मे वादीगण 01 ता 03 का 1/2 का 1/3 यानि 1/6 हक हिस्सा हक हिस्सा व वादी संख्या 04 का 1/6 हक हिस्सा व वादी संख्या 05 वा 1/6 हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण 01 का 1/2 का 1/2 यानि 1/4 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण 02, 03, व 04 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा घोषित किया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश पूर्वानुसार यथावत रखा जाता है।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner